न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

पीठासीन अधिकारीः— श्रीमती कुसुमलता चौहान, आर.ए.एस.

राजस्व प्रा0 पत्र संख्या 120/2007

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
01. पारसराम पुत्र राकोडा		01. नाथाराम पुत्र मानाराम
02. प्यारी देवी बेवा राकोडा		02. दाकुडी बेवा मानाराम
03. पेमी देवी बेवा कालूराम		03. भेराराम पुत्र पोकरराम
04. माडीदेवी पुत्री कालूराम		04. अचलाराम पुत्र पोकरराम
05. मालाराम पुत्र गुलाराम		05. मोहनलाल पुत्र पोकरराम
06. ढगलाराम पुत्र गुलाराम		06. कुकी बेवा पु.ाराम
07. माणकलाल पुत्र गुणाराम		07. सुराराम बेवा पुत्राराम
08. उदाराम पुत्र गुणाराम		08. खींवाराम पुत्र पुखाराम
09. गुणाराम पुत्र समाराम		09. लालराम पुत्र किशनाराम
10. मूलकी बेवा सेसाराम		10. मिश्रीया पुत्र पुखाराम
11. बाबूलाल पुत्र सेसाराम		11. गणेशराम पुत्र अमराराम
12. भंवरलाल पुत्र सेसाराम		12. चिमनाराम पुत्र अमराराम
13. रतनाई पुत्री सेसाराम		13. रूपाराम पुत्र राकोड़राम
14. भीकी पुत्री सेसाराम		14. तहसीलदार सोजत
15. हीरकी पुत्री सेसाराम		15. मृतक मांगीलाल पुत्र घीसाराम के कायम मुकाम
16. धापूड़ी पुत्री सेसाराम निवासीयान आलावास तहसील सोजत जिला पाली।		15/1. उगलीदेवी पत्नी मांगीलाल
		15/2. पप्पुराम पुत्र मांगीलाल
		15/3. मोटाराम उर्फ चेतनकुमार पुत्र मांगीलाल
		16. हापूडी पुत्री कालूराम
		17. प्यारीदेवी पुत्री कालूराम
		तमाम जातियान जाट, निवासीयान— आलावास, तहसील— सोजत, जिला— पाली।

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट 1955 सपठित ओदश 39 नियम01 व 02 सपठित धारा 151 सीपीसी

उपस्थितिः—

01. श्री धर्मीचन्द देवासी एवं श्री लक्ष्मण मेगवाल अधिवक्तागण प्रार्थीगण उपस्थित।
02. श्री गजेन्द्र सोनी अधिवक्ता अप्रार्थी उपस्थित

—: निर्णय :— दिनांक 20/03/2024

अधिवक्ता मय प्रार्थीगण ने राजस्व प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट 1955 के तहत विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सरहद मौजा ग्राम आलावास तहसील सोजत में खसरा नम्बर 172 रकबा 2.67 हैक्टर प्रार्थीगण की कब्जा

उपखण्ड अधिकारी
सोजत (राज.)

काश्त मिलकीयात की व आधिपत्य की कृषि भूमि आई हुई है। जिस कृषि भूमि पर कब्जा काश्त प्रार्थीगण का पूर्वजो के समय से आया हुआ है। उपरोक्त खसरा नम्बर 172 के पुराने खसरा नम्बर 130 मीन व 131 मीन थे, जो कृषि भूमि प्रार्थीगण पारसराम के दादा चुनाजी की खातेदारी एवं कब्जा सुदा थी एवं राजस्व रेकर्ड जमाबंदी संवत् 2029 से 2032 भी इन्हीं के नाम दर्ज है। खसरा नम्बर 172 रकबा 2.67 हैक्टर की कृषि भूमि प्रार्थीगण के बेरे की कृषि भूमि है तथा इसी बेरे से सिंचित होती आई है, खसरा नम्बर 172 के अलावा प्रार्थीगण की कृषि भूमि खसरा नम्बर 152, 162, 163, 166, 167 व 173 कुल खसरे 06 जिसका कुल रकबा 20.46 हैक्टर आया हुआ है। इसके साथ ही खसरा नम्बर 172 की भूमि प्रार्थीगण की ही कब्जा काश्त की आई हुई है जिस पर आज तक अप्रार्थीगण का कब्जा काश्त कभी नही रहा है। खसरा नम्बर 172 के एकमात्र मालिक प्रार्थीगण ही है। खसरा नम्बर 172 रकबा 2.67 हैक्टर की भूमि पर मौके पर कोई कब्जा काश्त नहीं होते हुए भी राजस्व अधिकारियों से मिलावट कर अप्रार्थीगण ने अपने नाम गलत तरीके से दर्ज करवा दी है जबकि यह कृषि भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज होनी चाहिए थी। वर्तमान में आज भी खसरा नम्बर 172 की भूमि कब्जा काश्त सुदा प्रार्थीगण का ही है। अप्रार्थीगण की नियत खराब हो चुकी है राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में इनका नाम गलत दर्ज होने के कारण पैसों के लोभ–लालचवश उपरोक्त कृषि भूमि अन्य को बेचाण करना चाहते है, जिसका उन्हें कोई कानूनी अधिकार नहीं है, तथा प्रार्थीगण के नाम खातेदारी में दर्ज नहीं होने से प्रार्थीगण को काश्त करने में परेशानी रहती है एवं कृषि भूमि के उपयोग एवं उपभोग में भी परेशानी रहती है। अगर अप्रार्थीगण बिना किसी अधिकार के उनके नाम का नाजायज फायदा उठाकर अन्य किसी व्यक्ति को बेचाण कर देते है तो प्रार्थीगण के कानूनी अधिकारी पर भारी कुठाराघात होगा, इसलिए अप्रार्थीगण को बेचान से रोका जाना अत्यन्त आवश्यक है। दिनांक 22.11.2007 को भी लालाराम, कुकी, सुराराम, खींवाराम खसरा नम्बर 171 रकबा 2.54 हैक्टर की भूमि उगीया पत्नी मांगीलाल जाट निवासी आलावास को 01/04 हिस्सा बेचाण कर दी है। उस समय इन्हीं लोगो ने प्रार्थीगण को धमकियां दी कि खसरा नम्बर 172 की भूमि भी वे अन्य किसी व्यक्ति को बेचाण कर देंगे मौके पर कब्जा काश्त अप्रार्थीगण का नहीं होते हुए भी खसरा नम्बर 172 की भूमि को नाजायज तरीके से बेचाण करने से पक्षकारान के बीच मुकदमे बाजी बढेगे। अप्रार्थीगण हमेशा यही आश्वासन देते थे कि जब कभी आवश्यकता होगी तो तुम्हारा नाम दर्ज करवा देंगे। लेकिन अब बेचान की धमकियां देने से प्रार्थीगण के पास वाद पेश करने के अलावा कोई चारा नहीं रहा है। इस प्रकार अधिवक्ता मय प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया किया है कि अप्रार्थीगण को ताफैसला मूल वाद निस्तारण तक सरहद मौजा आलावास तहसील सोजत में स्थित खसरा नम्बर 72 रकबा 2.67 हैक्टर की कृषि भूमि किसी भी अन्य व्यक्ति को बेचान, बखशीश वसीयत आदि नहीं करने तथा किसी भी तरीके से हस्तांतरित नहीं करने तथा प्रार्थीगण के कब्जा काश्त में किसी तरह की कोई दखलंदाजी नही करने हेतु अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा रोके जाने की ईश्तदुआ की है।

इस पर राजस्व प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिसेज तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 06, 07, 08, 09, 13 की ओर से अधिवक्ता श्री गजेन्द्र सोनी ने वकालतनामा पेश कर जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण का मूल वाद गलत व मिथ्या तथ्यों के आधार पर पेश किया है जिसमें प्रार्थीगण किसी प्रकार से सफलता मिलने की उम्मीद नहीं है। प्रार्थीगण की वादग्रस्त कृषि भूमि

उपखण्ड अधिकारी
सोजत (राज.)

खसरा नंबर 172 रकबा 2.67 हैक्टर की भूमि से कोई लेना देना नहीं है। वादग्रस्त कृषि भूमि पर प्रार्थीगण का कब्जा काश्त भी नही है। वादग्रस्त भूमि बेरा बड़ी बनिया के नाम से जाना जाता है। वादग्रस्त कृषि भूमि के खसरा नंबर 172 रकबा 2.67 हैक्टर की भूमि यों पर अप्रार्थीगण संख्या 06 से 09 एवं अन्य हिस्सेदारान का कब्जा काश्त तथा हक हकूक खातेदारी की कृषि भूमि है। वादस्थ भूमि पर हिस्सेदारान मांगीलाल पुत्र धीसाराम, हापूडी पुत्री कालूराम पत्नी बाबूलाल व प्यारीदेवी पुत्री कालूराम पत्नी दीपाराम का भी कब्जा काश्त है, परंतु प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र मे जान बूझकर पक्षकार नहीं बनाया है। वादग्रस्त भूमि पर प्रार्थीगण का कोई कब्जा काश्त नहीं है। बल्कि वादग्रस्त कृषि भूमि पर अप्रार्थीगण संख्या 06 से 09 का सेटलमेन्ट से पूर्व से शांति पूर्वक कब्जा काश्त आज दिन तक चला आ रहा है इसलिए प्रार्थीगण को इस वाद के जरिए खातेदारी प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं है। अप्रार्थीगण संख्या 06 से 09 का वादग्रस्त कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में नाम जो दर्ज है वो सही दर्ज है। प्रार्थीगण का वाद गलत होने से अस्वीकार है। प्रार्थीगण का वादग्रस्त कृषि भूमि के खसरा नंबर 172 से कोई सरोकार नहीं है। खसरा नंबर 171 रकबा 2.54 हैक्टर की भूमियों का इस वाद से कोई सरोकार नहीं है। प्रार्थीगण को कोई एलानियां धमकी नहीं दी गई है। अप्रार्थीगण द्वारा बेचान करने की बात गलत होने से अस्वीकार है। प्रार्थीगण का कोई प्रथम दृष्टया मामला व सहूलियत का पलड़ा व सुविधा का संतुलन किसी प्रकार से नहीं बनता है। प्रार्थीगण का वादग्रस्त कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में नाम इन्द्राज नहीं है तथा न ही मौके पर कब्जा काश्त है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण का कोई प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनता है तथा प्रार्थीगण को किसी प्रकार की अपूर्णिय क्षति नहीं हो रही है। जबकि अप्रार्थीगण का राजस्व रेकर्ड में बतौर खातेदार काश्तकार नाम इन्द्राज है तथा मौके पर शांतिपूर्वक कब्जा काश्त सेटलमेन्ट से पूर्व चला आ रहा है। इसलिए प्रार्थीगण को किसी प्रकार की विरूद्ध अप्रार्थीगण अस्थाई निषेधाज्ञा पाने का अधिकारी नहीं है। इस प्रकार जवाब प्रार्थना पत्र मय विशेष उजरात पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र गलत व मिथ्या तथ्यों पर पेश किए जाने से सव्यय खारिज किए जाने की ईश्तदुआ की है।

बहस वकुलाय सुनी गई। दौराने बहस अधिवक्ता प्रार्थी ने निवेदन किया कि अप्रार्थीगण को ताफैसला मूल वाद रोका जावे कि सरहद मौजा आलावास तहसील सोजत में स्थित खसरा नम्बर 72 रकबा 2.67 हैक्टर की कृषि भूमि किसी भी अन्य व्यक्ति को बेचान, बखशीश वसीयत आदि नहीं करने तथा किसी भी तरीके से हस्तांतरित नहीं करने तथा प्रार्थीगण के कब्जा काश्त में किसी तरह की कोई दखलंदाजी ताफैसला मूल वाद अप्रार्थीगण नहीं करने तथा अप्रार्थीगण संख्या 14 तहसीलदार सोजत को भी आदेश दिया जाकर अस्थाई निषेधाज्ञा के जरिए ताफैसला मूल वाद रोका जावे कि खसरा नम्बर 172 रकबा 2.67 हैक्टर की भूमि को बेचाण रजिस्ट्री पेश होने पर उसे किसी भी व्यक्ति के पक्ष में पंजीयन नहीं करने की ईश्तदुआ की है। अधिवक्ता मय अप्रार्थी संख्या 06 से 09 ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि रेकर्डेड ,खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती है। केवल हैरान व परेशान करने की नियत से उक्तप्रार्थना पत्र पेश किया है जिससे प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र भारी हर्जे खर्चे के साथ खारिज फरमाया जाने की ईस्तदुआ की है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना मय शपथ पत्र जबाब प्रार्थना पत्र फेहरिस्त मय दस्तावेजात का गहनतापूर्वक अध्ययन

उपखण्ड अधिकारी
सोजत (राज.)

कर बहस वकुलाय पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः पक्षकारों के हक अधिकार दस्तावेजो के आधार पर तनकियात कायत होकर/साक्ष्य उभयपक्ष रकर्ड पर आद विवेचन/विश्लेषण कर गुणावगुण पर विनिश्चय किया जावेगा। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में रकर्डेड खातेदार के विरूद्ध हस्तगत प्रकरण में किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना न्यायोचित प्रतित नही होता है।

— आदेश —

अतः अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट 1955 का पोषणीय नही होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(कुलदीप चौहान)
सोजत (राज.)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत